संख्याः 23 पबी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह मौर्य,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता/आई0टी0 इलैक्ट्रानिक्स।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/सूचना /कृषि विभाग।
3. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय।
6. कृषि निदेशक, उ0प्र0।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0, एनआईसी, लखनऊ।
8. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनुभाग-6

दिनांक- 12 फरवरी, 2018

विषयः प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना तथा एनपीए समाधान योजना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत योजना के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी बैंकों हेतु एनपीए समाधान योजना की समय-सारणी में संशोधन, सहकारी बैंकों के आधार/भूलेख की प्रविष्टी से छूटे हुये एनपीए खाते एवं मृतक उत्तराधिकारी से संबंधित खातों में नाम/आधार/भूलेख की प्रविष्टी करने, फसल ऋण मोचन योजना में सम्मिलित खाताधारकों के एनपीए समाधान योजना में प्राप्त खातों के भौतिक सत्यापन एवं शिकायत निवारण हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में विस्तार किये जाने के संबंध में पूर्व में

1- सं0 1523बी/क0नि0-6-2017-1(बी)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017,
2- सं0 1650बी/क0नि0-6-2017-20(बी)2015/2017 दि0 31 अक्टूबर, 17
3- सं0 1834बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017
4- सं0 33बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017 दिनांक 08 जनवरी, 2018
5- सं0 33बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017 दिनांक 10 जनवरी, 2018

प्रसारित दिशा-निर्देशों विषयक पार्श्वांकित पत्रों के माध्यम से की गयी व्यवस्था के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने हेतु निर्णय लिये गये हैं :

2. शासनादेश सं0– 33बी/क0नि0–6–2018–20(बी)15/2017 दिनांक 08 जनवरी, 2018 में की गयी व्यवस्था के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा सहकारी बैंकों के एनपीए खातों की प्रासंगिक धनराशि का सत्यापन करते हुए निम्न संशोधित समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी :–

क0स0	कार्यवाही	अवधि
1	जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रासंगिक धनराशि का सत्यापन करते हुए संस्तुति।	12 फरवरी, 2018 तक
2	एनआईसी द्वारा फिल्टर चलाया जाना।	दिनांक 13–19 फरवरी, 2018
3	डिमाण्ड जेनरेशन।	दिनांक 20 फरवरी, 2018

3. एनपीए समाधान योजनान्तर्गत सहकारी बैंकों से संबंधित कतिपय खाते जो कि आधार/भूलेख की प्रविष्टी से छूट गये थे एवं मृतकों से संबंधित खाते जिनमें उत्तराधिकारी का नाम एवं आधार प्रविष्ट किया जाना है, के संबंध में सहकारी बैंकों द्वारा नाम/आधार/भूलेख की प्रविष्टी दिनांक 12 फरवरी, 2018 तक की जायेगी। तत्पश्चात् उपरोक्त समय–सारणी के अनुसार एनआईसी द्वारा इन खातों के संबंध में आधार वैलिडेशन की कार्यवाही की जायेगी।

4. ऐसे कृषक जिनके खाते फसल ऋण मोचन योजना एवं एनपीए समाधान योजना दोनो में पाये गये हैं उन प्रकरणों को जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर भौतिक सत्यापन कराते हुये योजना में विहीत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. कृषकों द्वारा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि 20 जनवरी, 2018 से बढाकर 10 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया जाता है। उक्त तिथि तक पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में निर्णय लेते हुए निम्न समय सारणी के अनुसार कार्यवाई की जायेगी :–

क0स0	कार्यवाही	अवधि
1	जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पायी गयी शिकायतों में प्रासंगिक धनराशि का सत्यापन करते हुए संस्तुति।	11 मार्च, 2018 से 16 मार्च, 2018 तक
2	एनआईसी द्वारा आधार वैलिडेशन एवं फिल्टर चलाया जाना।	दिनांक 19 मार्च, 2018 से 22 मार्च, 2018 तक
3	डिमाण्ड जेनरेशन।	दिनांक 23 मार्च, 2018

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्याः (01)बी/क0नि0-6-2018-20(बी)15/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (श्री नील रतन)।
5. संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।